तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मैना v/s तहसीलदार
27/01/25	वकील वादी व पैरोकार सरकार उप०, द्वारा वादीगण तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैमल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज०

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
क्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 57 / 2024 **तारीख दायरा:–06.11.2024**

मैना पत्नी फजरूदीन जाति मेव निवासी ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर जिला डीग।

———वादीया

बनाम

श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

————प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री हकमुदीन खान वादीया।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक:–27.01.2025**

वादीया द्वारा द्वारा यह वाद इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नं0 354 / 0.34, बाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर मे स्थित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे वादीया का नाम राजस्व कर्मचारियो की सहबन गलती से मैना पत्नी फजरूदीन के स्थान पर मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन अंकित कर दिया है, जबकि वादीया का सही नाम मैना पत्नी फजरूदीन है तथा समस्त दस्तावेजात यथा जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि मे वादीया का नाम मैना पत्नी फजरूदीन है जिसके सबूत में सरपंच ग्राम पंचायत बेर्रू का प्रमाण पत्र पेश है। ग्राम रामसिंहपुर पालकी वादीया के अलावा मैना तथा मैनाबेगम नाम की अन्य कोई महिला नही है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादीया को नकल जमाबंदी लेने पर दिनांक 09.09.2024 को हुई जिससे वादीया सख्त हकतलफी हो रही है एंव वादीया सरकार द्वारा संचालित योजनाओ के लाभ से भी वंचित रह रही है अत दावा वादीया डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं 354 / 0.34 बाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर पर हो रहे वादीया के गलत नाम मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन के स्थान पर मैना पत्नी फजरूदीन अंकित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि पटवारी हल्का रामसिंहपुर पालकी से प्राप्त रिपोर्ट अुनसार मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन जाति मेव निवासी ग्राम रामसिंहपुर पालकी के बारे जांच करने मे पाया कि मैनाबेगम का नाम ग्राम रामसिंहपुर पालकी राजस्व रिकॉर्ड मे नामा0 सं0 371 किस्म बयनामा से दर्ज हुआ है। जबकि मैनाबेगम के अन्य दस्तावेजों नाम मैना दर्ज रिकॉर्ड है। तथा मौके पर जांच पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन व मैना पत्नी फजरूदीन एक ही महिला के 2 नाम है जिसका सही नाम मैना है, सरपंच ग्राम पंचायत बेर्रू व परिवारजन अरसद द्वारा प्रस्तुत पथ पत्र के ग्राम रामसिंहपुर पालकी के आ.ख.नं. 354 / 0.34 मे दर्ज नाम मैनाबेगम के स्थान पर मैना शुद्व किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वादी के समर्थन मे फजरूदीन, मैना, अरसद के शपथ पत्र पेश किये तथा दौराने बहस अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि वादीया का नाम मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन के स्थान पर मैना पत्नी फजरूदीन किया जावे तथा तहसीलदार द्वारा दावा स्वीकार किये जाने का कथन किया गया।

:: आदेश ::

अत दावा वादीया तहसीलदार नगर की रिपोर्ट एव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अधार पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 354/0.34 बाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मैनाबेगम पत्नी फजरूदीन के स्थान पर मैना पत्नी फजरूदीन दर्ज किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27/1/25

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०